20.7.22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उप०। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। ~~वकील प्रार्थी के~~ बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रा० प० मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आदेश दिनांक 15-6-22 को रिकॉल कर अपास्त किया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जावे। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रकरण मे दिनांक 15-6-22 को अन्तिम निर्णय पारित किया जा चुका है। सरफेसी एक्ट मे रिव्यू [illegible] रिकॉल करने का अधिकार सेवा इस [illegible] [illegible] है। अतः प्रा० प० खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 15:41:20 IST
Reason: SelfAttested

20.7.22
लगातार

फरमाया जावे। हमने बहस एवं साक्ष्यों का अध्ययन का मनन किया। न्यायहित में प्रार्थी को सुना जाना उचित है अतः प्रार्थी का प्रा०प० रिकॉल स्वीकार किया जाता है। प्रकरण सं० 16/2022 पुनः नम्बर पर लिया जाकर बहस हेतु दिनांक 10.8.22 को पेश हो।

(एल० एस० कुरी)
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 16:41:20 IST
Reason: SelfAttested